72

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1490—एक / 2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 03—05—2012 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 202 / 2010—11 / अपील

.....

यदुवीरसिंह पुत्र श्री महावीरसिंह,
निवासी—ग्राम बरैथा, तहसील व
जिला— मुरैना म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— म0प्र0 शासन
2— अजमेरसिंह पुत्र श्री बुद्धसिंह,
निवासी—ग्राम बरैथा, तहसील व
जिला— मुरैना म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजीव गौतम, शासकीय अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 6-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 03—05—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि तहसील मुरैना के ग्राम बरैथा में स्थित विवादित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 01 / 2006—07 / अ—89 (9) में पारित आदेश दिनांक 31.12.2010 के आधार पर विचारण न्यायालय ने आवेदकगण के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत प्रकरण कमांक 05 / 2009—10—अ—68 पर दर्ज करते हुये पारित आदेश दिनांक 22.02.2010 से 800 / — रूपये अर्थदण्ड तथा विवादित भूमि पर से आवेदक गण को बेदखल किये जाने का आदेश

दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2010 से परिवेदित होकर आवेदकगण ने अपील अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष पेश की, जो प्रकरण क्रमांक 67/2010–11/ अपील माल पर दर्ज की जाकर पारित विचारधीन आदेश दिनांक 19.08.2011 से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा पारित विचारधीन आदेश दिनांक 19.08.2011 से दुखी होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की है

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पहले न तो कोई सूचना दी गई, और न ही तामील का निर्वाह विधिवत कराया गया। एकपक्षीय रूप से संहिता की धारा 248 की कार्यवाही करते हुये आवेदकगण पर 800/– रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया तथा विवादित भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया। बन्दोवस्त के दौरान हुई त्रुटि को मदेनजर रखते हुये सुधार किये जाने का आवेदन अपर कलेक्टर जिला मुरैना के न्यायालय पेश किया गया था, जो अभी विचाराधीन है। सर्वे क्रमांक 1006 आवेदक का था। जिसे शासन को कर दिया गया, जो भूमि सर्वे क्रमांक 1005 शासन की थी, उसे आवेदक को दे दिया गया। इस त्रुटि को सुधार किये जाने का आवेदन अभी विचाराधीन है, जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता विचारण न्यायालय तथा अनुविभागीय अधिकारी मुरैना को कार्यवाही नहीं करना चाहिये थी। फिर भी कार्यवाही करने में भूल की है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित किये गये आदेश का पालन भी सुनिश्चित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत न होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, निरस्त किये जावे तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावे ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि मैने प्रकरण में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक की बहस , अपील मेमो में लिखे गये तथ्यों तथा अधीनस्ध न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री अजमेर सिंह द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आवेदक यदुवीरसिंह सरपंच के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के न्यायालय में प्रकरण चला था।जो प्रकरण क्रमांक 01/2006–07 अ–89 9 में दर्ज करते हुये पारित आदेश दिनांक 31.

12.2010 को निर्णात हुआ जिसमें आवेदक को शासकीय भुमि पर अतिक्रमण किये जाने से दोषी मानकर संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत कार्यवाही कारने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी मुरैना द्वारा दिये गये थे। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना द्वारा पारित आदेश का अनुशरण करते हुये विचारण न्यायालय ने संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत आवेदक के विरूद्ध प्रकरण पंजीवद्ध करते हुये पारित आदेश दिनांक 22.02.2011 से आवेदक का 800/– रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किये गये तथा शासकीय भूमि पर सें बेदखल किये जाने का आदेश भी दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष आवेदक द्वारा अपील पेश की गई, जो विचाराधीन आदेश दिनांक 19.08.2011से निरस्त की गई। आवेदक द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार भी पेश नहीं किया गया कि जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मुरैना द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–05–2012 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर